निग/3373/II/15

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (कैम्प भोपाल)

प्रकरण क्रमांक : ..../2015

प्रेम बाई पत्नि श्री घनश्याम,
निवासी ग्राम आर्या, तहसील इछावर,
ज़िला सीहोर .... **प्रार्थी**

विरूद्ध

तुलसीराम आत्मज श्री गिरधारी
कृषक ग्राम करनपुरा (नयाखेड़ा)
तहसील इछावर, ज़िला सीहोर ...... **प्रतिप्रार्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.07.15 जो प्रकरण क्र. 128/अ–12/14–15 में न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, तहसील इछावर, ज़िला सीहोर द्वारा पारित किया गया

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम करनपुरा (नयाखेड़ा), तहसील इछावर, ज़िला सीहोर स्थित भूमि खसरा क्र. 146/1/2, 146/3, 143/1/2, 147/3, 147/1/3, 149/2/2, 150, 151, कुल किता 08, कुल रकबा 2.509 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु प्रतिप्रार्थी ने तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया।

02. यह कि, उक्त सीमांकन किये जाने के पूर्व प्रार्थी को विधिवत् सूचना–पत्र की तामील नहीं कराई है। प्रार्थी की ग़ैर मौजूदग़ी में सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है तथा प्रतिप्रार्थी की भूमि पर प्रार्थी का अवैध कब्ज़ा बताया गया है और अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जिससे दुःखित एवं असंतुष्ट होकर श्रीमान् के समक्ष यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

आधार

01. यह कि, आदेश विद्वान नायब तहसीलदार महोदय का विधि, प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने से माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप कर निरस्त किये जाने योग्य है।

निरंतर,
ब्रज किशोर श्रीवास्तव
एडवोकेट

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक. R 3375–दो/14 जिला– ~~सीहोर~~ सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 –10–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री [redacted] श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित । मेरे द्वारा प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्रीं श्रीवास्तव के ग्राह्यता पर तर्क श्रवण किए गये, एव नस्ती के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार इच्छावर, जिला सीहोर के प्रकरण कमांक–128/अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक–7.7.2015 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह एक अत्यंत ही संक्षिप्त प्रकृति की टीप है, तथा वास्तविकता में इसमें कोई आदेश है ही नहीं । ऐसा इसलिए, क्योंकि इस दिनांक को नायब तहसीलदार ने अनुवृत्ति पत्रिका में यह तो लिखा है कि "राजस्व निरीक्षक से सीमांकन प्रतिवेदन, पचनामा, फील्डबुक, सूचना पत्र । संलग्न प्रकरण हो । प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं । प्रकरण दा.द. हो ।" किन्तु राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन आदि के आधार पर सीमांकन की पुष्टि की जाती है या नहीं, यह वह अपने आदेश में लिखना भूल गये । राजस्व निरीक्षक ने स्वयं सीमांकन फाइनल नहीं किया था, उसने पुष्टि के लिए सीमांकन कार्यवाही नायब तहसीलदार के पास भेजी थी, जिसकी राजस्व निरीक्षक को स्वयं संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारिता थी, किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी अधिकारिता का उपयोग नहीं किया गया । नायब तहसीलदार ने सीमांकन प्रतिवेदन के कमेन्ट्स पर विचार कर, ऐसे व्यक्ति जिनका कब्जा सीमांकन के आवेदक	

तुलसीराम की भूमि पर राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन के अनुसार होना पाया गया था या जिनकी ऐसा बेजा कब्जा बताने जाने के विरूद्ध आपत्ति थी या हो सकती थी, को प्रकरण समाप्त करने के पूर्व सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं समझा, न दिया । ऐसे में नायब तहसीलदार ने अपने विवेक का उपयोग कर एक न्यायालय की भांति कार्य नहीं कर केवल मेकेनिकल तरीके से प्रकरण में कार्यवाही की है । इस कारण वश मैं आक्षेपित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ ।

इस विवेचना के आधार पर मैं नायब तहसीलदार इच्छावर का प्रकरण कमांक–128/अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक–7.7.15 एतद्द्वारा निरस्त करता हूं । साथ ही मैं राजस्व मण्डल का यह प्रकरण कमांक–निगरानी–3373/2/15 समाप्त करता हूं, तथा तहसीलदार इच्छावर को यह निर्देश देता हूं कि वे प्र0कमांक–128/अ–12/14–15 अपने न्यायालय में खोलें तथा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार जिन व्यक्तियों का तुलसीराम की भूमि पर अबैध कब्जा पाया गया है, या जो इस भूमि के इस सीमांकन के संबंध में कोई आपत्ति करना चाहते हैं, उन्हें अपने समक्ष सनवाई का अवसर दें । ऐसे होने वाले पक्ष समर्थन अथवा आपत्तियों के प्रकाश में यदि फील्ड की कार्यवाही पुनः कराने की आवश्यकता पड़े तो तहसीलदार उस संबंध में भी निर्णय लें, तथा यदि फील्ड की अन्य कोई कार्यवाही होती है तो उसके पूर्व समस्त हितवद्ध पक्षकारों को पूर्व सूचना एवं पक्ष समर्थन के अवसर हेतु विधिवत कार्यवाही करें । ये सब करने के उपरांत वे प्रकरण में बोलता हुआ निर्णय इस प्रकार पारित करें कि तुलसीराम अथवा अन्य किसी हितबद्ध पक्षकार के बैधानिक हित अनुचित तौर पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हों, तथा किसी अन्य के

वैधानिक हितों को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्तियों के दुष्प्रयास एवं दुष्कृत्य, यदि हों तो, स्पष्टतः बोलते निष्कर्षो के स्वरूप में समक्ष आ जाएं ।

उपरोक्त निर्देशों के फलस्वरूप निगराकार प्रेमबाई भी अपना पक्ष तहसीलदार के समक्ष रख सकती हैं । निगराकार प्रेमबाई को यह हिदायत दी जाती है कि इस आदेश की संसूचना के 15 दिवस के भीतर वे तहसीलदार इच्छावर के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करने के लिए अनिवार्यतः उपस्थित हों ।

तहसीलदार इच्छावर उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए अपने समक्ष का प्रकरण इस आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम तीन माह के भीतर अनिवार्यतः निराकृत करें ।

प्रकरण समाप्त ।

तहसीलदार इच्छावर जिला सीहोर एवं पक्षकार सूचित हों ।

प्रसकरण दा.द.हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य